

08/10/2021

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज्ञ अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

चक्रवीर सिंह S.L.P.M. अबनाम

सरकार

किरम मुकदमा 136 एल आर एकट

नम्बर 50 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

पारोख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
8/10/2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>समेवा</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गा.सं.अ./2021/ दिनांक 8/10/2021 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 6/8LPM में प्रार्थी के नाम चक 9LPM.A की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के खाता सं 40 में <u>मुकदमा 136 एल आर एकट</u> के <u>चक्रवीर सिंह S.L.P.M. अबनाम</u> के स्थान पर <u>जमना-ए-आम कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 6/8LPM</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>समेवा</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 9LPM.A तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के खाता सं 40 में <u>मुकदमा 136 एल आर एकट</u> के <u>चक्रवीर सिंह S.L.P.M. अबनाम</u> के स्थान पर <u>जमना-ए-आम कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 6/8LPM</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम मे सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
कैम्प 6/8LPM

